न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टी.ए./2005/3580/जयपुर.

रामकरण पुत्र नाथाराम जाति यादव निवासी ग्राम चतुर्भुज तहसील कोटपुतली जिला जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– सुबेसिंह पुत्र यादराम) जाति यादव निवासी ग्राम चतुर्भुज
2– रणबीर पुत्र यादराम) तहसील कोटपुतली जिला जयपुर
3– श्रीमी मेवा बेवा यादराम)

...प्रत्यर्थीगण/वादीगण

4– बनवारी पुत्र गणपत
5– श्रीराम पुत्र गणपत
6– रोहताश पुत्र गणपत
7– शीशराम पुत्र गणपत
8– मुरारी पुत्र गणपत
9– गुलझारी पुत्र भोलाराम
जाति चमार निवासी ग्राम चतुर्भुज तहसील कोटपुतली जिला जयपुर।
10– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपुतली तहसील कोटपुतली जिला जयपुर राजस्थान

...प्रारूपिक प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थितः
श्री हेमन्त सोगानी, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
प्रत्यर्थी सं0–1 से 3 अनुपस्थित।
प्रत्यर्थी सं0 4 से 9 की तलबी बंद की गई।

निर्णय

दिनांकः 07/10/2025.

1– हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 153/2004, बउनवानी सुबेसिंह व अन्य बनाम रामकरण व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30–4–2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपुतली के समक्ष ग्राम चतुर्भुज तहसील कोटपूतली स्थित विवादित भूमि खसरा संख्या 351, 352 व 374 कुल रकबा 3.24 है0 भूमि बाबत् एक राजस्व वाद स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती का विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलार्थी एवं शेष प्रत्यर्थीगण पेश किया।

प्रतिवादी संख्या–3 से 8 द्वारा अपना जवाबदावा पेश कर वादपत्र में वर्णित कथनों से इंकारी प्रकट की गई तथा वादपत्र खारिज करने की प्रार्थना की गई।

तत्पश्चात् वादीगण द्वारा दिनांक 26–05–2004 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश–6 नियम–17 सीपीसी पेश किया, जिसका प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश करने पर विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थी वादीगण को वांछित संशोधन की स्वीकृति प्रदान किये जाने से वादीगण द्वारा संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया।

अपीलार्थी/प्रार्थी रामकरण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 18 सीपीसी प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित वादपत्र को हजफ करने का निवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी पक्ष द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश–6 नियम–16 सपठित धारा–151 सीपीसी पेश कर वादपत्र को खारिज करने का अनुतोष चाहा। वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों का जवाब पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 01–07–2004 के द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर वादीगण/प्रत्यर्थी सं0–1 से 3 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–4–2005 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील उक्त निर्णय दिनांक 30–04–2005 से व्यथित होकर मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3– प्रत्यर्थी संख्या–4 से 9 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं होने से जरिये आदेश दिनांक 07–04–2025 तलबी बंद की जाकर इनका नाम हजफ किया गया एवं प्रत्यर्थी संख्या–1 से 3 की तामील बार–बार किये जाने एवं समुचित व पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी इनके अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस प्रकरण के गुणावगुण पर सुनी गई।

4– बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील–मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर का निर्णय दिनांक 30–4–2005 तथ्यों एवं कानून के

विपरीत है। अपीलीय न्यायालय ने वास्तवित मुद्दे को समझे बिना परवर्स निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को मात्र इसलिए निरस्त नहीं किया कि उन्होंने विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकृत संशोधन से अधिक संशोधन कर नया वाद पत्र पेश किया है बल्कि उन्होंने न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करते हुए तथा वादीगण द्वारा न्यायालय की पत्रावली में अनाधिकृत रूप से कटिंग कर अवैधानिक इन्द्राज करने के आधार पर इसे अपराध की श्रेणी में मानते हुए वाद खारिज किया गया, किन्तु अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त स्थिति पर विचार किये बिना अपीलाधीन निर्णय से प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया है। वादीगण द्वारा की गई अवैधानिक कार्यवाही को देखते हुए न्यायालय की गरिमा कायम करने के उद्देश्य से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा न्यायोचित आदेश पारित करना आवश्यक था। विचारण न्यायालय ने उक्त स्थिति को देखते हुए वाद निरस्त किया था, किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार के विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई किये जाने हेतु रिमाण्ड किया है। आदि कथन करते हुए अंत में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-4-2005 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5- अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का भी अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु हमारे समक्ष निम्न अवधार्य बिन्दु विचारणीय है कि :-

''आया अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 30-04-2005 पारित करने में विधि या तथ्य संबंधी कोई त्रुटि कारित की है अथवा नहीं ? ''

6- इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी सं0-1 से 3 सुबेसिंह, रणबीरसिंह एवं श्रीमती मेवा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपुतली के समक्ष विवादित भूमि के संबंध में राजस्व वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी व्यादेश का पेश किया, जिसके विचाराधीन रहते प्रत्यर्थी/वादी सुबेसिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर वादपत्र के पद संख्या-3 में वांछित संशोधन किये जाने की प्रार्थना की गई, जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दिनांक 03-06-2004 को स्वीकार करते हुए उक्त संशोधन की अनुमति प्रदान किये जाने पर वादीगण ने संशोधित वाद पत्र दिनांक 16-06-2004 को पेश कर दिया। तत्पश्चात् अपीलार्थी/प्रतिवादी रामकरण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 18 सीपीसी पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित वादपत्र को हजफ करने का निवेदन किया गया तथा एक अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश-6 नियम-16 सपठित आदेश-7 नियम-11 सीपीसी पेश कर वादपत्र को विधि द्वारा

वर्जित होना अभिकथित करते हुए इसे खारिज करने का अनुतोष चाहा। वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों का जवाब पेश किये जाने पर विचारण न्यायालय ने उभय पक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 01–07–2004 से उक्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी वादीगण का वाद खारिज कर दिया।

7– आक्षेपित निर्णय दिनांक 01–07–2004 का अवलोकन किया जाये तो विचारण न्यायालय द्वारा मूल वादपत्र में बिना न्यायालय की पूर्वानुमति के चोरी छूपे कटिंग कर संशोधन किये जाने पर अधिवक्ता वादीगण के विरूद्ध प्रताड़ना करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज किया है, जबकि पत्रावली पर यह स्वीकृत तथ्य है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी वादीगण को वादपत्र में संशोधन हेतु अनुमति प्रदान की गई तथा वादपत्र में संशोधन की अनुमति के पश्चात् प्रत्यर्थी वादीगण द्वारा दिनांक 16–06–2004 को संशोधित वादपत्र भी पेश कर दिया गया। ऐसी स्थिति में यह स्पष्टतः प्रकट नहीं होता है कि वादी प्रत्यर्थी द्वारा आदेश–6 नियम–18 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुए उक्त संशोधन करने में असफल रहा हो। हालांकि अपीलार्थी का मुख्य कथन यह भी रहा है कि संशोधन की अनुमति मिलने के बाद प्रत्यर्थी वादीगण ने बिना न्यायालय की अनुमति लिये नया संशोधन कर दिया तथा संशोधित वादपत्र में कांट–छांट कर दी गई, जबकि जो संशोधित वादपत्र की प्रति उन्हें दी गई उसमें कांट–छांट नहीं थी। इसके खण्डन में प्रत्यर्थी का तर्क रहा कि सहवन से प्रतिलिपि में संशोधन करना रह गया और उक्त कांट–छांट केवल नाम मात्र की गई है, उससे प्रकरण की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उक्त अभिवचनों से यह जाहिर होता है कि हस्तगत अपील में मुख्य विवाद वादपत्र में संशोधन से संबंधित है, जिसमें न्यायालय की पत्रावली में वादी द्वारा मूल वादपत्र में कांट छांट करने के आधार पर वादपत्र को खारिज किया है, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–6 नियम–16 के तहत् न्यायालय किसी भी प्रक्रम में किसी भी अभिवचन में की गई ऐसी बात को काट सकेगा या संशोधित कर सकेगा जो अनावश्यक, कलंकात्मक, तुच्छ या तंग करने वाली हो अथवा वाद के ऋजु विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो अथवा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग हो। उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय यदि बाद जांच इस निष्कर्ष पर भी पहुंचता है कि वादीगण द्वारा न्यायालय की पत्रावली में बाद में कटिंग की गई है तो वह आदेश–6 नियम–16 के तहत् संशोधित वादपत्र को अस्वीकार कर सकते थे या संशोधन वाद के आदेश में परिवर्तन कर सकते थे, किन्तु इस आधार पर संपूर्ण वादपत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–7 नियम–11 के तहत् वादपत्र केवल वादकारण उत्पन्न नहीं होने अथवा वाद विधि द्वारा वर्जित होने की अवस्था में ही नामंजूर किया जा सकता है, ना कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–6 में वर्णित प्रावधानों के तहत्। अपीलार्थी रामकरण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं अंकित नहीं किया है कि वादपत्र आदेश–7

नियम–11 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों के तहत् किस प्रकार विधि द्वारा वर्जित होकर संधारण योग्य नहीं है। केवल मात्र वकील को दी गई प्रति में संशोधन नहीं होने के आधार पर वादपत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। हमारे विनम्र मत में आदेश–7 नियम–11 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों के तहत् कोई वाद इस आधार पर भी खारिज नहीं किया जा सकता है कि संशोधित वाद में स्याही से कटिंग कर दी गई है।

8– उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु के विपरीत जाकर वादीगण का वाद निर्णय दिनांक 01–07–2004 द्वारा खारिज करने में गंभीर त्रुटि कारित की है, जिसके फलस्वरूप अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 30–04–2005 द्वारा प्रकरण विधिक प्रक्रिया के तहत् पुनः विचारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है।

9– इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 30–04–2005 पारित करने में कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि कारित नहीं है। अतएव अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

10– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–04–2005 की पुष्टि की जाती है।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष